

फ़ोन : कार्यालय - 0551 - 2340363

आवास - 0551 - 2201507

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

पत्रांक: 2129/सम्बद्धता/2009

दिनांक: 9 / 12 / 2009

सेवा में,

प्रबन्धक,

राजा देवी महिला महाविद्यालय,
सल्हपुर भटनी, देवरिया।

विषय: महाविद्यालय को बी0 एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक: 23.11.2009 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर बी0 एड0 पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है:-

1. श्री रामबचन राय, (अवकाश प्राप्त) - विभागाध्यक्ष

| क्र. सं. | प्रवक्ता का नाम | विषय |
|----------|---------------------------|------------------|
| 1. | श्री अमर प्रताप सिंह | प्रवक्ता बी0 एड0 |
| 2 | श्री प्रमोद कुमार | प्रवक्ता बी0 एड0 |
| 3 | श्री नितिन कुमार राय | प्रवक्ता बी0 एड0 |
| 4 | डा0 श्री अवधेश तिवारी | प्रवक्ता बी0 एड0 |
| 5 | श्री रघुपति प्रसाद गुप्ता | प्रवक्ता बी0 एड0 |
| 6 | श्री अमित कुमार | प्रवक्ता बी0 एड0 |
| 7 | श्री चन्द्रशेखर सिंह | प्रवक्ता बी0 एड0 |

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09., मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।
संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09., मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

[Handwritten Signature]
कुलसचिव
8/12/09
[Handwritten Signature]
8/12/09